

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002832016

दांडिक प्रकरण क.-406 / 16

संस्थापित दिनांक-06.10.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-श्रीपाल पुत्र लाखनसिंह राजपूत आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम नावनी, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,323,294,506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी उषावाई ने दिनांक 26.07.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 31.07.16 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 358/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,323,506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341,294,323 एवं 506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 26.07.16 को समय 17:00 बजे कल्याणसिंह यादव के खेत की मेड पर ग्राम नावनी चंदेरी पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी उषावाई का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी उषावाई को माँ वहिन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी उषावाई को सामान्य आशय के अग्रसरण में उसका गला दबाकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. आपने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी उषावाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

076— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 उषावाई, अ.सा.2 कल्याण, अ.सा.3 मिठटूलाल, अ.सा.4 गुडडीबाई, अ.सा.5 विजयसिंह, अ.सा.6 डॉ राघवेन्द्र की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 उषावाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार वह पैदल घर जा रही थी तब आरोपी रास्ते में मिला और उसका गला पकड़कर मुंह दबा लिया था तथा जान से मारने की धमकी दे रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी तथा नक्सा मौका प्र0पी02 पुलिस ने बनाया था। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के समय मिठटू और गुडडी आ गये थे जिन्होंने बीच बचाव किया था। अ.सा.2 कल्याण ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है तथा फरियादिया उसकी पत्नी है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था तथा रास्ता खराब होने से उसने अपनी पत्नी को उतार दिया था और वह कच्चे रास्ते से अपने घर जा रही थी। उक्त साक्षी के अनुसार रास्ते में आरोपी ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था और कहा था कि जान से खत्म कर देगा। अ.सा.2 के अनुसार मौके पर गुडडीबाई एवं मिठटू साहू आ गये थे। अ.सा.2 के अनुसार आरोपी ने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया था। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि घटना उसके सामने नहीं घटी।

08— अ.सा.3 मिठटूलाल एवं अ.सा.4 गुडडीबाई पक्षद्रोही हो गये हैं। दोनों साक्षीगण के अनुसार उन्हे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा.3 एवं अ.सा.4 ने इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष आरोपी ने उषावाई के साथ कोई अपराध कारित

किया था। अ.सा.6 डॉ राघवेन्द्र ने अपने कथन में बताया है कि उन्होंने दिनांक 26.07.16 को उषावाई का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आहत ने दांत हिलने की शिकायत की थी।

09— अ.सा.5 विजयसिंह ने बताया है कि उसने प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में झूठी विवेचना की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादिया ने बताया था कि वह पैदल जा रही थी एवं उसका पति मोटरसाइकिल से दूसरे रास्ते से जा रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादिया ने उसे कोई रंजिश या कोई दुश्मनी होना नहीं बताया था।

10— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि फरियादिया ने जिन साक्षीगण के नाम अपने कथन में बताए हैं वे पक्षद्रोही हो गये हैं। फरियादी के अनुसार मौके पर मिठठूलाल एवं गुडडीबाई आ गये थे किंतु उक्त दोनों साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि उनके समक्ष कोई घटना घटी थी। उल्लेखनीय है कि फरियादिया ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसके साथ गाली गलोच की गई थी। गाली गलोच के संबंध में अ.सा.2 ने भी अपने कथनों में नहीं बताया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 ने अपने कथन में यह भी नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा उसका रास्ता रोका गया था।

11— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में फरियादी अ.सा.1 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उसका गला दबा दिया था तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी के उक्त कथन का अनुसर्मथन अ.सा.2 की साक्ष्य से हो रहा है। उल्लेखनीय है कि आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा

मामले में झूठी कार्यवाही की गई है। अ.सा.6 जो मेडिकल विशेषज्ञ है उन्होंने भी अपने कथन में बताया है कि फरियादिया ने दांत हिलने की बात बताई थी। फरियादिया अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया है कि उसके मुंह में चोट लगी थी, इस प्रकार फरियादी के कथन की संपुष्टि अ.सा.6 की साक्ष्य से हो रही है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ गाली गलोच की गई एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी द्वारा फरियादी का रास्ता रोककर सदोष-अवरोध कारित किया गया, किंतु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी का गला दबाया गया था एवं जान से मारने की धमकी दी गई थी। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 341 एवं 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा भादवि की धारा 323 एवं 506 भाग दो के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर

#### पुनश्च:—

13— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा एक महिला के

साथ उक्त अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी महिला के साथ किसी के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 506 भाग दो के अपराध में 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 07 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

18— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)